

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या :- 268/21

प्राथी	बनाम	विषयार्थी
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पंचपदरा ।		<ol style="list-style-type: none">1. गणपतलाल पुत्र सावलराम कुम्हार निवासी खण्डप2. ओमप्रकाश पुत्र सेजाराम कुम्हार निवासी जोधपुर3. महेन्द्रकुमार पुत्र जीवराज सुथार निवासी अजीत ।4. हेमाराम पुत्र लुम्बाराम कुम्हार निवासी बालोतरा ।5. दूदाराम पुत्र गुलाराम जाट नि० सा.पदमसिंह ।6. चौखाराम पुत्र नवलाराम जाट नि० भोमोणियों की ढाणी7. पुरखाराम पुत्र लिखमाराम जाट नि० लुम्बानियों की ढाणी रूपजी राजाबेरी8. उमाराम पुत्र दुर्गाराम जाट नि० खट्टू9. बाबूराम पुत्र खेताराम जाट नि० भोमोणियों की ढाणी ।10. राजेन्द्र कुमार पुत्र वगताराम सुथार नि० गुडा सिवाना ।11. नजीर खां पुत्र मुहेबखान मुसलमान नि० सेलार रामसर ।12. अरजू खां पुत्र नागूखां मुसलमान नि० लकडियाली13. एलियास पुत्र खमीस खां मुसलमान नि० करनाली14. दुर्गाप्रसाद पुत्र हडमानराम कुम्हार नि० लोलावा ।15. मुहीबखां पुत्र नसीरखां मुसलमान नि० सेलार16. शरीफखां पुत्र बसायखां मुसलमान नि० लोलाणा17. उरसखां पुत्र बसायखां मुसलमान नि० लोलाणा18. मुल्तानमल पुत्र पूनमाराम माली जसोल ।19. गजेदान पुत्र गुणेशदान चारण नि० साचौर20. श्रीमती संतोषदेवी पत्नी भवरलाल मुसलमान नि० लोलावा ।



(Signature)

21. रूपसिंह पुत्र घनसिंह राजपूत
निवासी बाँदेसरा।
22. रमजानखां पुत्र राहमूजखां नि०
लोलावा ।
23. हाजी गफुर पुत्र ईशाक खां
मुसलामान नि० टुकिया ।
24. श्रवणकुमार पुत्र भीमाराम माली
नि० जसोल ।
25. जसरज पुत्र मानाराम माली
नि० जसोल
26. रेवन्ती पत्नी रामलाल कुम्हार
जसोल
27. शांतिदेवी पत्नी भोमाराम कुम्हार
नि० जसोल
28. गोविन्दराम पुत्र नारायणराम माली
जसोल।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 177 रा.का.अधिनियम

आदेश

दिनांक :- 6.6.2022

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम जैरला तहसील पंचपदरा की खसरा सं. 24 रकबा 24-06 बीघा भूमि विप्राथीगण की संयुक्त खातेदारी की है। उक्त भूमि में से 6750 वर्ग फीट भूमि पर बिना विधिबिहित संपरिवर्तन की कार्रवाई करवाये विप्राथीगण ने अवैध रूप से कपड़ा फैक्ट्रियों का निर्माण कर लिया और वर्तमान में उनके द्वारा फैक्ट्रियों का संचालन किया जा रहा है। इस प्रकार कृषि भूमि का अकृषि उपयोग लेकर विप्राथीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः प्राथी ने ग्राम जैरला की खसरा संख्या 24 रकबा 24 - 06 बीघा में से विप्राथीगण द्वारा गैरकृषिक रूप में उपयोग में ली गई 6750 वर्ग फीट भूमि से विप्राथीगण की खातेदारी समाप्त कर उक्त भूमि राजकीय खाते में दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया।

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्राथीगण की तलबी की गई। बावजूद नोटिस तामील के विप्राथी अनुपस्थित रहे।

प्राथी ने अपने आवेदन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में विवादित भूमि की जमाबंदी एवं गैरकृषिक उपयोग में ली गई भूमि चिह्नित करते हुए नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया तथा मौखिक साक्ष्य में स्वयं तहसीलदार पंचपदरा एवं पटवारी हल्का रामसीन के बयान करवाये गये।

बहस सुनी गयी।

तहसीलदार पचपदरा की बहस है कि विप्रार्थीगण, जो कि ग्राम जैरला की खसरा संख्या 24 रकबा 24-06 बीघा भूमि के रिकार्ड्ड खातेदार हैं, ने बगैर भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाये उक्त भूमि में से 6750 वर्गफीट भूमि का अकृषिक उपयोग कर उस पर कपडा फैक्ट्रियां निर्मित की। जबकि कृषि भूमि का अकृषिक उपयोग राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन है। अतः प्रार्थी उक्त अकृषिक उपयोग में ली जा रही 6750 वर्ग फीट भूमि खालसा सरकार घोषित करवाते हुए राजकीय खाते में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। ग्राम जैरला तह0 पचपदरा की खसरा संख्या 24 रकबा 24-06 बीघा भूमि के रिकार्ड्ड खातेदार विप्रार्थीगण ने उक्त भूमि में से 6750 वर्ग फीट भूमि बिना औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित करवाये उस पर अवैध रूप से फैक्ट्रियां बनाकर कपडा फैक्ट्रियों के रूप में संचालन कर रहे हैं, जो धारा 177 आर. टी.ए के प्रावधानों का उल्लंघन है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम जैरला तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 24 रकबा 24-06 बीघा भूमि में से नैरकृषिक उपयोग में ली गई 6750 वर्ग फीट भूमि से विप्रार्थीगण की खातेदारी समाप्त की जाकर राजकीय खाते में सरकारी भूमि के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार पचपदरा को बाद पैमाइश उक्त अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ली गई 6750 वर्ग फीट भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं लट्टा नक्शा में पृथक तरमीम सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

(नयेय कोनी)
 सह-अध्यक्ष (राजकीय)
 जयपुर (राजस्थान)

आदेश आज दिनांक 6.6.2022 को इजलास सुनाया गया।

(नयेय कोनी)
 सह-अध्यक्ष (राजकीय)
 जयपुर (राजस्थान)